झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–54 / 11 पार्ट–2 / रांची, दिनांक–

प्रेषक,

अभय कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवामें,

प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद / दुमका / राँची /
कोडरमा / खरसावाँ / जगन्नाथपुर / साहेबगंज
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची, झारखंड।

विषय :– **वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आधुनिकीकरण / सुदृढ़ीकरण / स्थापना आदि / संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान एवं अन्य मदों में व्यय हेतु कुल रू0 1,21,00,000 / – (रू0 एक करोड़ ईक्कीस लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित विभाग के पत्रांक–245 / बजट दिनांक–30.03.2022 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 03 / योजना दिनांक 10.05.2022, 12 / योजना दिनांक 06.10.2022 एवं 18 / योजना दिनांक 12.01.2023 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में संबंधित शीर्षो में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार कुल रू0 1,21,00,000 / – (रू0 एक करोड़ ईक्कीस लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति परिश्ष्टि–'**क**' के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा / लघु शीर्ष–105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय–उप शीर्ष–44–राजकीय पोलिटेकनिकों / खनन संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 0025 है।

6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी होगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।

9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक– 245/वि0 दिनांक–30.03.2022 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।

10. आवंटन की राशि में वित्त विभाग के पत्रांक 692/बजट दिनांक 27.12.2022 के द्वारा द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि भी सम्मिलित है।

11. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/साहेबगंज/ चाईबासा से की जायेगी।

12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।

13. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

15. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अमय कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–54/11 पार्ट–2/15/बजट /रांची, दिनांक– 20.01.2023

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/दुमका/ कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/साहेबगंज/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/23

सरकार के अपर सचिव